न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0 कक्ष संख्या 3 बरेली।

परिवाद सं0–3817/2018

नत्थू लाल बनाम मंगलसेन आदि।

थाना–भोजीपुरा, जनपद–बरेली।

दिनांक 21.05.2019

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को तलवी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

परिवाद–पत्र का संक्षेप में कथन है कि दिनॉक 06.11.2017 को समय लगभग दिन के दो बजे प्रार्थी का पुत्र रिंकू उर्फ चेतराम अपनी परचूनी की दुकान पर बैठा था तभी मंगलसेन पुत्र स्व0 पूरन लाल, देवेन्द्र कुमार पुत्र मंगलसेन, लालमती पुत्री मंगलसेन, क्रान्ती देवी पत्नी मंगलसेन प्रार्थी की दुकान पर आये और प्रार्थी के पुत्र रिंकू उर्फ चेतराम को मॉ बहन की गंदी–गंदी गालियॉ देने लगे। प्रार्थी के पुत्र ने जब विरोध किया तो समस्त विपक्षीगण प्रार्थी की परचूनी की दुकान में घुस आये और प्रार्थी के पुत्र रिंकू के साथ हाथापायी करते हुए प्रार्थी की दुकान में रखे दुकानदारी के रूपये 10,000/– निकाल लिये। प्रार्थी के पुत्र के शोर पर प्रार्थी अपने पड़ोस के घर से दुकान पर पहुॅचा तो उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थी के पुत्र को छोड़कर प्रार्थी पर ईट लेकर दौड़ पड़े और प्रार्थी को रोड पर गिराकर ईट से प्रार्थी के सीने पर चोट करने लगे, जिससे प्रार्थी के सीने पर व शरीर पर काफी खुली व गुम चोट आयी। प्रार्थी व पुत्र के शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोगों के इकट्ठा होता देख विपक्षीगण उपरोक्त प्रार्थी की दुकान से निकाले रूपये 10,000/– अपने साथ ले गये और कहा कि यदि कार्यवाही की तो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगें।

परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में स्वंय को धारा 200 दं0प्र0सं0 व धारा 202 दं0प्र0सं0 के रूप में पी0डब्लू0–1 हीरा लाल एवं पी0डब्लू0–2 पाती राम को परीक्षित कराया गया है।

उपरोक्त के आलोक मे परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है प्रथमदृष्टया विपक्षीगण मंगल सेन, देवेन्द्र कुमार, लालमती एवं क्रान्ती देवी के विरूद्व अभिलेख पर धारा 379, 504, 506 भा0दं0सं0, के अपराध के विचारण योग्य साक्ष्य विद्यमान है जिसके विचारण हेतु वे तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण मंगल सेन, देवेन्द्र कुमार, लालमती एवं क्रान्ती देवी को धारा 379, 504, 506 के विचारण हेतु तलब किया जाता है, उन्हे जरिये समन तलब किया जाये। तलब किये गये अभियुक्तगण की संख्या के अनूरूप परिवाद की प्रतियॉ दाखिल हो। परिवादी विधिनुसार पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण दिनांक 22.07.2019 को पेश हो।

(हरिश्चन्द्र)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष–3, बरेली